FORM No III

केवल दिनांक 2/1/24

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, शाहपुरा जिला शाहपुरा

कमलेश बनाम GMB

किस्म मुकदमा ५५५ नं. 279 सन् 2023

GCMS No. 2023/359

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27/12/23	~~दावेदार~~/प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर ~~दावेदार~~/प्रार्थना पत्र की नकलें ~~प्रतिवादीगण~~/अप्रार्थी को जरिये सम्मन मार्फत तहसील वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु भेजी जावे। पत्रावली दिनांक 01-01-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला शाहपुरा)	दर्ज
01/01/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के समन वाप तामिल प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षीगण के प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 02-01-24 को पेश हो।	
02/01/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षिया नं. 1 कमू वास्ते उपस्थित है। विपक्षिया द्वारा प्रार्थिया पुत्र स्वीकार किये जाने हेतु मौखिक निवेदन किया गया। एवं पैरोकार सरकार द्वारा राज्य हित नहीं होने के जवाब अपेक्षित नहीं होना लिखा गया। विपक्षिया द्वारा लिखा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। एवं निवेदन किया कि कमलेश पुत्र शंकरलाल नाम का एकमात्र पुत्र है इसे बचपन से केवल नाम से पुकारा जाता था वास्तविक नाम कमलेश ही है इसके अलावा भाई बहन कोई पुत्र नहीं है। विपक्षिया के पुष्टीकरण की गयी जिसमें विपक्षिया ने स्वीकार किया कि मेरे पुत्र का नाम कमलेश है एवं कमलेश	निशान Identified. राजस्व प्रमाणित नहीं होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। पैरो. सरकार

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

GCMS No . .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	मौके एक ही व्यक्ति है कब्जेदार मेरा एकमात्र पुत्र है मेरे अन्य कोई पुत्र नहीं है कब्जेदार का भी वादपत्र में अंकित नाम से पुकारते हैं। अतः डाक्टिन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, विपक्षियान सं. 1 पार्टी की मांग के वादपत्र एवं मौखिक बयान के आधार पर डाक्टिन पत्र जारी किया जाना उचित समझता हूँ। आदेश पार्टी द्वारा प्रस्तुत डाक्टिन पत्र जारी किया जाता है। वाद ग्राम पंचायत कुकड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित खाता सं. 71 आराजी संवत 2075-78 अ.नं. 19, 20, 21, 346 जिस पर रकबा 1.71 है. के अंतिम पट्टा कब्जेदार मौके पर काबिज व्यक्ति के नाम पर कब्जेदार पुत्र रामकिशन नाम परिवर्तन के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार तहसीलदार शाहपुरा पालना करें। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)	